ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश नं0– 50 / 16–17

मो0 मंजू देवी बनाम् मोती कुवंर

25.5.18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त है।

मो0 मंजू देवी, पति–स्व0 रमेश चन्द्र तिवारी, सा0–तुलसिकत्ता, थाना–पथरगामा जिला–गोड्डा के आवेदन पर वाद की प्रकिया प्रारंभ की गई है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका मौजा–मधुचक नं0–772 के तहत् जमाबंदी नं0–17 की वारिशान हैं। गत सर्वे सेटलमेंट में उक्त जमीन जमाबंदी रैयत हरिहर प्र0 तिवारी वो अयोध्या प्र0 तिवारी के नाम से पर्चा में अंकित है। आवेदिका जमाबंदी रैयत अयोध्या प्रसाद तिवारी की पोती है। जमाबंदी रैयत अयोध्या प्र0 तिवारी अपने पीछे एक पुत्र मुरलीधर तिवारी को छोड़कर फौत कर गये। मुरलीधर तिवारी अपने पाँच पुत्रियों एवं विधवा पत्नी मो0 शारदा देवी को छोड़कर फौत कर गये। मुरलीधर तिवारी को पुत्र नहीं होने के कारण आवेदिका अपनी सभी बहन एवं विधवा माता शारदा देवी के साथ मौजा–मधुचक नं0–772 के जमाबंदी नं0–17 के अन्दर दाग नं0–65, कुल रकवा 00–06–00 जमीन पर दखलकार चली आ रही है तथा अपने पिता के हिस्से की जमीन जोत–आबाद कर फसल का उपभोग कर मालगुजारी भुगतान करती आ रही है। उक्त विवादित भूमि से विपक्षी (1) मोती कुवंर (2) पुद्धर कुवंर पे0– स्व0 रतन कुवंर (3) बिहारी कुवंर पे0–पुद्धर कुवंर एवं (4) खड़ानन्द कुवंर पे0–स्व0 कुमरू कुवंर सा0– दाड़ीघाट, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को किसी प्रकार का सरोकार नही है। विपक्षीगण बाहुबली एवं उदंड किस्म के व्यक्ति है तथा असमाजिक तत्वों के मद्द से विवादित भूमि पर जहाँ तहाँ मिट्टी कारकर नुक्सान पहुँचा रहा है। साथ ही दो झोपड़ी बना कर कब्जा कर लिया गया है। दोनों झोपड़ी विवादित भूमि के अन्दर है। आवेदिका की मां मो0 शारदा देवी 85 वर्ष की बुढ़ी महिला हैं तथा विकलांग होने के कारण चल फिर नहीं पाती हैं। स्थानीय थानेदार से मिलकर विपक्षीगण विवादित जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अंत में आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण को विवादित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सबजज, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल पी0 सूट नं0–18 / 1978 वादी राम रंजन तिवारी वगौरह–बनाम्–सागर प्रसाद तिवारी वगैरह में दिनांक–07.07.1987 को डिक्री प्राप्त है। अतः स्वत्व का विवाद ही नहीं है। इस संबंध में आवेदिका द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर विपक्षी का 40फीट×20फीट पर मकान बना हुआ है। अंत में शेष विवादित जमीन से उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि यह आर0ई0आर0 का केश चलने योग्य नही है। इसे खारिज किया जाय। जिस जमीन पर यह वाद दायर किया गया है, इस पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम की धारा 20

एवं 42 लागू नहीं होगा। आवेदिका ने अपने केश में जो वंशावली बनाई है वह गलत है। विवादित जमीन मौजा–मधुचक जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–65 के अन्तर्गत रकवा– 00–06–00 धूर जमीन को रतन कुवंर को कुर्फा बंदोवस्ती दिनांक–05.01.1936 को अयोध्या प्र0 तिवारी ने दिया है, जिसपर रतन कुवंर घर बनाकर रहने लगे एवं वर्त्तमान में रतन कुवंर के वंशज उक्त जमीन पर अलग–अलग घर बना कर रहे हैं। विपक्षीगण भूमिहीन व्यक्ति है तथा उक्त जमीन के अलावे रहने के लिए कोई घर नहीं है। अवेदिका अब लोभवश विपक्षी को परेशान कर रहे हैं। विपक्षी के वंशज भी उक्त घर का बटवारा कर अपने–अपने घर रह रहे हैं तथा बाल–बच्चों का भरन–पोषण कर रहे हैं। अयोध्या तिवारी के किसी भी पुरूष वंशज को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वाद विपक्षी को परेशान करने हेतु किया गया है। सभी दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि आवेदिका का नियत लोभ से वसीभूत है तथा पूर्वज के द्वारा कुर्फा बंदोवस्ती को छीनना चाहती हैं। आवेदिका का वाद खारिज करने योग्य है। अंत में विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदिका के द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विपक्षी को मौजा–मधुचक नं0–772 के जमाबंदी नं0–17 के अन्दर दाग नं0–65, कुल रकवा 00–06–00 धूर जमीन में से 40फीट×20फीट, कुल 800 वर्ग फीट की भूमि को छोड़कर शेष भूमि से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को निदेशित किया जाता है कि आवेदिका के जमाबंदी रैयत के वंशजों को अवशेष भूमि पर दखल दिहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bande Kr Singh
Adv
29/5/18

22.9.18

अभिलेख उपस्थापित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, गोड्डा के प0 सं0-167/विधि, दिनांक 23.08.18 के द्वारा उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय के भार0 रा0 वा0 सं0-13/2018-19 के क्रम में अभिलेख की मांग की गयी है।

अभिलेख भेजें।

Seen
[illegible]
अधिवक्ता
29.5.18

ज्ञापांक 66
18.6.18

22.9.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:16:43 +05:30
Location: 192.168.1.51

2E/RER/Abhi ltr.11